[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRA ORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION-(i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification

No. 13/2017-SERVICE TAX

New Delhi, dated the 12th April, 2017

G.S.R. (E). – In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub- section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as "the Act") read with sections 31, 32 and 32A to 32P of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), made applicable to service tax vide section 83 of the Act, 1994, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Service Tax (Settlement of Cases) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Settlement of Cases) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Service Tax (Settlement of Cases) Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules):-

(i) in rule 2 in clause (c), after the word, letters, brackets and figure, "Form SC (ST)-1", the word, letters, brackets and figure "or Form SC (ST)-2" shall be inserted;

(ii) in rule 3 of the said rules,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) An application under sub-section (5) of section 32E of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Act, shall be made in Form SC (ST) -2".

(b) in sub-rule (3), after the word, letters, brackets and figure, "Form SC (ST) -1", the words, letters, brackets and figure "or Form SC (ST) -2, as the case may be" shall be inserted.

(iii) for rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted namely:-

"4. Disclosure of information in the application for settlement of cases.-- The Settlement Commission shall, while calling for a report from the Commissioner of Central Excise having jurisdiction or Commissioner of Service Tax having jurisdiction, under sub-section (3) of section 32F of Excise Act, made applicable to Service Tax *vide* section 83 of the Act, forward a copy of the application referred to in sub-rule (1) or sub-rule (1A) of rule 3, as the case may be, to the Commissioner of Central Excise having jurisdiction or Commissioner of Service Tax along with the annexure and the statements and other documents accompanying such annexure to the application.".

(F.No.275/36/2016-CX.8A (Pt.I))

(Y.S. Karoo)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 403 (E), dated the 29th May, 2012 *vide* notification no.16/2012-Sertive Tax, dated 29th May, 2012.

www.taxguru.in

Form No. Form No. SC (ST) -2

[under sub-rule (1A) of rule 3 of the Service Tax (Settlement of Cases) Rules, 2012]

Before the Customs and Central Excise Settlement Commission

_____________ Bench at _________________

Form of application for settlement of a case of Any Person under sub-section (5) of section 32E of Excise Act, made applicable to service tax vide section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)

1.	Full name of the Person	
2.	(i) Postal address of the Person (ii) E-mail address of the Person, if any	
3.	i) Address for communication ii) Telephone No.	
4.	i) Permanent Account No. (ii)Service Tax Registration No. (if any) (iii) Status	
5.	(i) Commissioner of Service Tax having jurisdiction over the Person (ii) Postal address of the Commissioner of Service Tax having jurisdiction over the Person	
6.	Details of Show Cause Notice issued to the Person (a) Show Cause Notice No. and date (b) Period of dispute in the notice (c) Service Tax demanded in the notice (in Rs.) (d) Name of the noticee in the Show Cause Notice from whom the duty is demanded (e) Whether the case of noticee from whom the duty is demanded, has been settled by the Commission or application is pending for settlement before the Commission. If yes, please provide the status and details of that application. (f) Adjudicating authority before whom the notice of any person is pending adjudication.	
7.	Brief facts of the case and particulars of the issues to be settled	

Signature of the person

www.taxguru.in

Verification

I ……………. son/daughter of …………… residing at ………………. do solemnly declare that I am making this application in my capacity as …. …….. and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true and that I have not filed any application for settlement of the provisions of the Chapter V of Excise Act made applicable to service tax vide section 83 of the Act, before the Settlement Commission and also that no information relevant to the facts of the case has been suppressed. Annexures of the documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transactions are correct and are duly attested by me.

That no proceeding in respect of the case for which settlement is being sought, is pending before Commissioner (Appeals), Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal or the courts, as the case may be, or has been remanded back to the adjudicating authority by the said appellate authorities/courts.

Verified today the ………… day of ………… (mention the month and year) ……. (mention the place)

Deponent

Note:

1. The application fee should be credited in a branch of the authorized bank or a branch of the State Bank of India or a branch of Reserve Bank of India and the triplicate copy of the challan sent to the Settlement Commission with application. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

2.Please state whether individual, Hindu undivided family, company, firm, an association of persons, etc.

Annexure

Statement containing particulars, referred to in item 7 of the application made under sub-section (5) of section 32 (E) of Excise Act made applicable to service tax vide section 83 of the Act.

1. Full and true disclosure of the facts regarding the issues to be settled including the terms of settlement sought for by the applicant.

Signature of the Person

Place :

Date :

www.taxguru.in

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 13/2017-सेवा कर

नई दिल्ली, , 2017

सा.का.नि. .... (अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 31, धारा 32 और धारा 32क से धारा 32त तक के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा कर (मामलों का निपटान) नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर (मामलों का निपटान) नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में:-

(i) नियम 2 के, खंड (ग) में, "प्ररूप एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उक्त नियमों के नियम 3 में;-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर लागू की गई उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड.) की उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप एससी (एसटी)-2 में किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (3) के, "प्ररूप एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्ररूप एससी (एसटी)-2", यथास्थिति, शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. मामलों के निपटान के लिए आवेदन में सूचना का प्रकटन – निपटान आयोग, उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (3) के अधीन, अधिनियम की धारा 83 के द्वारा सेवा कर को लागू की गई अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अधिकारिता रखने वाले सेवा कर आयुक्त से रिपोर्ट की मांग करते समय, यथास्थिति, नियम 3 के उप-नियम (1) में या उप-नियम (1क) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति उपाबंध और विवरणियों तथा आवेदन के ऐसे उपाबंधों से संलग्न अन्य दस्तावेजों सहित अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या सेवा कर आयुक्त को, अग्रेषित करेगा।"

[फाइल सं. 275/36/2016-सीएक्स.8ए(पीटी.।]

( )

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 403(अ), तारीख 29 मई, 2012, अधिसूचना संख्यांक 16/2012-सेवा कर, तारीख 29 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

www.taxguru.in

फार्म सं. एससी (एस सी)-2

[सेवा कर (मामलों का निपटान) नियमावली, 2012 के नियम-3 के उपनियम(1 क) के अन्तर्गत]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग के समक्ष

_____________ स्थित बेंच _________________

वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 द्वारा सेवा कर के लिए लागू किया गया उत्पाद शुल्क अधिनियम की उपधारा (5) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के केस के समाधान के लिए आवेदन फार्म

1.	व्यक्ति का पूरा नाम	
2.	(i) व्यक्ति का डाक पता (ii) व्यक्ति का ई-मेल पता, यदि कोई हो	
3.	(i) संप्रेषण के लिए पता (ii) दूरभाष संख्या	
4.	(i) स्थायी खाता संख्या (ii) सेवा कर पंजीकरण संख्या (यदि कोई है) (iii) स्थिति (नोट – 2 देखें)	
5.	(i) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सेवा कर आयुक्त (ii) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सेवा कर आयुक्त का डाक पता	
6.	आवेदक को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे (क) कारण बताओ नोटिस संख्या तथा तारीख (ख) नोटिस में विवाद की अवधि (ग) नोटिस में आवेदक से मांगा गया सेवा कर (रूपए में) (घ) कारण बताओ नोटिस में नोटिस दिने वाले का नाम जिससे शुल्क की मांग की गई है। (ड.) क्या उस आवेदक का केस जिससे शुल्क की मांग की गई है , को आयोग द्वारा निपटान किया गया है अथवा आवेदक का आवेदन आयोग के समक्ष लंबित रहा है। यदि हां , तो कृपया निपटान के लिए उस आवेदन की स्थिति तथा ब्यौरे प्रदान करें। (च) न्याय निर्णयन प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी व्यक्ति का नोटिस न्याय निर्णयन के लिएए लंबित रहा है।	
7.	मामले के संक्षित तथ्य तथा निपटान किये जाने वाले मामलों के ब्यौरे	

व्यक्ति का हस्ताक्षर

www.taxguru.in

<u>सत्यापन</u>

मैं……………. सुपुत्र/सुपुत्री ……………......... निवासी................. सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि मैं .... क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूं तथा मैं इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं।

यह कि इस आवेदन की विषय वस्तु सही है तथा यह कि समझौता आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू किए गए उत्पादशुल्क अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के निपटान हेतु मैंने कोई आवेदन दायर नहीं किया है तथा यह भी कि इस मामले के तथ्यों के संगत कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुबंध मूल की असली प्रतियां हैं तथा वित्तीय संव्यवहार दर्शाने वाली तालिकाएं सही हैं तथा मेरे द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

यह कि जिस मामले के संबंध में समाधान की मांग की गई है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही आयुक्त (अपील), सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित नहीं है अथवा उक्त अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को वापिस नहीं भेजी गई हैं।

आज …………..... (स्थान लिखें) में ...………… (माह एवं वर्ष लिखें) के .... ……. दिन सत्यापित।

अभिसाक्षी

टिप्पण **:**
1. आवेदन की फीस प्राधिकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा कराई जानी चाहिए तथा चालान की तृतीय प्रति आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजी जाएं समझौता आयोग चेक, ड्राफ्ट, हुंडियां अथवा अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।
2. कृपया बताएं क्या व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संघ आदि है।

<u>अनुबंध</u>

अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू की गई उत्पादशुल्क अधिनियम की धारा 32 (ड़) की उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन के मद 7 में संदर्भित ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

1. आवेदक द्वारा मांगे गए समझौता निबंधन सहित निपटाए जाने वाले मामलों से संबंधित तथ्यों का संपूर्ण एवं असली प्रकटन।

हस्ताक्षर

स्थान :
तिथि :

www.taxguru.in